

भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board

Office Order No. 10 of 2024

Sub : Renaming of Secretary's Confidential Cell (SCC) in Board's Office.

Subsequent to placing of Secretary's Confidential Cell under Establishment Officer (EO) and reporting of EO to Chairman & CEO, Railway Board vide Office Order No. 38 of 2022 dated 27.05.2022, it has now been decided to change the name of Secretary's Confidential Cell as Chairman & CEO's Confidential Cell.

2. The above issues with the approval of Competent Authority.

No. 2024/O&M/7/5

New Delhi. Dated :05.03.2024

(T. Srinivas)

Joint Secretary/Railway Board
Email_id:t.srinivas1@gov.in
Tele No. : 011-47845551

All Officers and Branches in Board's Office, COFMOW Building and at Daya Basti, New Delhi.

Copy to :

CRB& CEO, MF, M/Infra, M/O&BD, M/TRS
DG/HR, DG/Safety, DG/RHS, DG/RPF,

Copy for information to :

EDPG/MR, EDPG/MoSR(D), EDPG/MosR(J)

भारत सरकार/ GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/ RAILWAY BOARD)

2024 का कार्यालय आदेश सं. 10

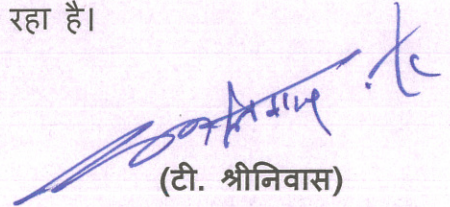
विषय: बोर्ड कार्यालय में सचिव के गोपनीय कक्ष का नाम बदलना।

रेलवे बोर्ड के 2022 के दिनांक 27.05.2022 के कार्यालय आदेश सं. 38 के तहत सचिव के गोपनीय कक्ष को स्थापना अधिकारी के अंतर्गत रखने और स्थापना अधिकारी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी को रिपोर्ट करने के परिणामस्वरूप अब यह विनिश्चय किया गया है कि सचिव के गोपनीय कक्ष का नाम बदलकर अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपनीय कक्ष किया जाता है।

2. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

सं. 2024/ओएंडएम/7/5

नई दिल्ली, दिनांक: 05.03.2024



(टी. श्रीनिवास)

संयुक्त सचिव/रेलवे बोर्ड

ई मेल:-t.srinivas1@gov.in

फोन नं- 011-47845551

बोर्ड कार्यालय, कॉफमो बिल्डिंग और दयाबस्ती, नई दिल्ली के सभी अधिकारी और शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सदस्य वित्त, सदस्य अवसंरचना, सदस्य परिचालन एवं व्यवसाय विकास, सदस्य कर्षण एवं चल स्टॉक, महानिदेशक मानव संसाधन, महानिदेशक सरंक्षा, महानिदेशक रेल स्वास्थ्य सेवा, महानिदेशक रेल सुरक्षा बल

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल मंत्री, कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (डी), कार्यपालक निदेशक जन शिकायत/रेल राज्य मंत्री (जे)